न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः—137/2017/अपील

भूराराम पुत्र खांगाराम जाति जाट निवासी भोपतपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
2. नायब तहसीलदार तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 07.11.2017 मु.नं. 214/2017 उनवानी सरकार बनाम भूराराम द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री रामेश्वर लाल बिजारनियां

निर्णय **दिनांकः—05.06.2018**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने एक रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर के समक्ष अपीलांट के विरूद्ध इस आशय की पेश की, कि अपीलांट ने भूमि खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.07 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर पर डोल लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दिनांक 31.10.2017 को अपीलांट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर दिनांक 07.11.2017 को अपीलांट के नाम से नोटिस जारी किये जो नोटिस अपीलांट के पास कभी भी कोई भी लेकर नही गया तथा नोटिस की पुष्ट पर थानेदार (भूराराम) की टिप्पणी अंकित है, जबकि अपीलांट न तो थानेदार रहा न ही थानेदार के नाम से जाना जाता है। परन्तु उस नोटिस पर लिखी टिप्पणी को अपीलांट की तामिल मानते हुए दिनांक 07.11.2017 को अपीलांट के विरूद्ध एक तरफा निर्णय पारित कर दिया। योग्य न्यायालय ने बिना कोई जांच किए केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय पारित किया है जो निर्णय की परिभाषा में नही आता। अपीलाधीन निर्णय से पूर्व अपीलांट को सुनवायी का कोई अवसर नही दिया न ही विधिवत तामिल हुई, न ही कोई तामिल कुनिन्दा नोटिस लेकर अपीलांट के घर पर या आस पास कोई व्यक्ति थानेदार के नाम से जाना पहचाना जाता है न ही अपीलांट इस नाम से जाना पहचाना जाता है इस प्रकार अपीलांट को बिना सुनवायी का अवसर दिये पारित किया गया निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार माना तथा हल्का पटवारी ने भी सर्वथा रेकार्ड व मौके के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की जिन्होने केवल मात्र अपीलांट को अतिक्रमी बताया जबकि खसरा नम्बर 1316 से सटती हुई खसरा नम्बर 1324, 1321, 1317 की भूमियां है तथा इन भूमियो के अपीलांट के अलावा नानगराम पुत्र गोपीराम, चन्द्री देवी पत्नि हनुमान, छीतरमल, श्यामलाल, मुरलीधर पुत्र हनुमान, सुरजाराम पुत्र रामबक्स,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हुई है। अपीलांट की कृषि भूमियों की देखभाल व आवारा पशुओ से सुरक्षा के लिए पुख्ता अर्सा करीब 60–70 वर्ष पुरानी डोल लगी हुई है जिस पर बड़े– बड़े पेड है तथा अपीलांट ने किसी तरह का कोई अतिक्रमण नही किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 214/2017 उनवानी सरकार बनाम भूराराम में पारित निर्णय दिनांक 07.11.2017 को निरस्त किए जाने की कृपा करें।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस पर अपीलांट के भाई के नाम से तामिल रिपार्ट प्राप्त हुई है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अपना निर्णय पारित किया है। मुताबिक रिकॉर्ड के अपीलांट द्वारा ग्राम भोपतपुरा के खसरा नम्बर 1316 रकबा 0.07 है0 किस्म गै.मु.रास्ता में से 0.01 है0 पर डोल लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में गै.मु. रास्ता प्रतिबंधित भूमि है। जिसमें खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। अतः राजकीय भूमि (गै.मु.रास्ता) पर डोल लगाकर किये गये अतिक्रमण के सम्बंध में अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा बेदखली आदेश दिनांक 07.11.2017 अतिविशिष्ट कानूनी प्रावधान की पूर्ति के लिए यथेष्ट एवं पर्याप्त है जिसमें दखलंदाजी की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/6/18

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

अति. जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official